

कार्यालय, निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण
गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263 145

पत्रांक : डीएएम/6837

दिनांक : 29-04-2026

कार्यालय आदेश

विषय : विश्वविद्यालय परिसर में वाहन संचालन, यातायात नियंत्रण एवं समग्र सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु निर्देश।

विश्वविद्यालय परिसर एक शैक्षणिक, आवासीय एवं सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, अधिकारी-कर्मचारी, आगंतुक एवं उनके परिजन आवागमन करते हैं, परिसर में बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य जीव-जंतुओं की उपस्थित के कारण यहाँ यातायात संचालन में विशेष सतर्कता, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है।

विगत समय में यह परिलक्षित हुआ है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वाहन संचालन के दौरान लापरवाही, अत्यधिक गति, यातायात नियमों की अवहेलना एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे न केवल दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है, अपितु परिसर की शांति, सुरक्षा एवं अनुशासन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानिकारक है, बल्कि सामूहिक रूप से भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है।

उक्त परिस्थिति के दृष्टिगत, विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं उत्तरदायी यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नलिखित विस्तृत निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं :

1. सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग (हेलमेट/सीट बेल्ट)

- परिसर में संचालित सभी दोपहिया वाहनों के चालक एवं सह-यात्रियों हेतु मानक गुणवत्ता के हेलमेट का उपयोग अनिवार्य होगा।
- चारपहिया वाहनों में चालक एवं सह-यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा
- उक्त प्रावधानों की अवहेलना को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाएगा।

2. सवारी संबंधी प्रतिबंध

- दोपहिया वाहनों पर चालक सहित अधिकतम दो व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी।
- निर्धारित सीमा से अधिक सवारी ले जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Acting Dean
College of Technology
Pantnagar-263145
Distt. U.S. Nagar (Uttar)

Dean C.T. Office
Receipt No.: 446
Dated: 30/04/2026

- स्तम्भर विभागाध्यक्ष/इंजिनियरिंग-वाज
- स्तम्भर लेखाधिकारी

3. नाबालिग एवं बिना लाइसेंस चालकों पर पूर्ण निषेध

- ऐसे व्यक्ति जो विधिक रूप से वाहन संचालन के पात्र नहीं हैं (नाबालिग/बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस), उन्हें किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि किसी कर्मचारी के परिवारजन, आश्रित अथवा उनके संरक्षण में रहने वाले व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी/अभिभावक की मानी जाएगी। उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. अधिकतम गति सीमा एवं नियंत्रण उपाय

- परिसर में सभी प्रकार के वाहनों हेतु अधिकतम गति सीमा 40 कि.मी. प्रति घंटा निर्धारित की जाती है।
- संवेदनशील क्षेत्र (जैसे छात्रावास, शैक्षणिक भवन, अस्पताल, खेल परिसर आदि) में आवश्यकतानुसार इससे भी कम गति बनाए रखना अपेक्षित होगा।
- गति नियंत्रण हेतु स्थापित स्पीड ब्रेकर, बैरिकेड्स एवं संकेतकों का पालन अनिवार्य होगा।

5. यातायात संकेतों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन


- परिसर में स्थापित यातायात संकेतक, गति अवरोधक(स्पीड ब्रेकर), बैरिकेड्स, दिशा सूचक चिह्न एवं अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इनके छेड़छाड़ करना अथवा इन्हें क्षति पहुँचाने वाले के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा कठोर अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6. पार्किंग एवं आवागमन व्यवस्था का अनुपालन

- अनाधिकृत स्थानों पर पार्किंग करने से यातायात अवरोध उत्पन्न होता है। गलत पार्किंग पाए जाने पर वाहन को हटाया जा सकता है तथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर हम सभी का साझा उत्तरदायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह न केवल स्वयं नियमों का पालन करें, बल्कि दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक एवं प्रेरित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही सीध तौर पर किसी के जीवन के लिए खतरा बन सकती है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसके उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।


(बी0एस0 चंलाल)पी.सी.एस.
निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि :

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागध्यक्ष, गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर को इस आशय से प्रेषित कि वे स्वयं तथा अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त श्रेणी के कार्मिकों को उपर्युक्त आदेशों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित करने हेतु अवगत करने का कष्ट करें।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को संबंधित छात्रावासों के सूचना पट्ट पर चस्पा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सुरक्षाधिकारी, गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा दैनिक रूप से निरीक्षण करते हुए उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।



(बी0एस0 चलाल)पी.सी.एस.
निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण